राज्य बजट का अध्ययन व विश्लेषण

# बजट समाचार

त्रैमासिक | अंक 57 | जुलाई – सितम्बर 2016 | सीमित प्रसार के लिए

## वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) : एक अवलोकन

भारत में वस्तु एवं सेवा कर (GST) लागू करने के लिये संविधान में संशोधन विधेयक को इस साल अगस्त माह में केन्द्र सरकार द्वारा पास कर दिया गया है। जीएसटी का मुख्य उद्देश्य देश में एक समान कर व्यवस्था स्थापित करना एवं अप्रत्यक्ष कर ढांचे को सरल बनाना है। यह कर प्रणाली देश में मौजूदा कर प्रणाली, आर्थिक विकास एवं वृद्वि, महंगाई, सरकारों के राजस्व ढांचे एवं राज्यों की कर आय, विभिन्न क्षेत्रों एवं आम आदमी को अनेक प्रकार से प्रभावित करेगी।

देश में वस्तु एवं सेवा कर प्रणाली स्थापित करने की बात कोई नयी नहीं है, केन्द्र स्तर पर विगत 16 वर्षों से इसे अपनाने की कयावद चल रही थी। दरअसल वर्ष 2000 में वाजपेयी सरकार के समय पहली बार केन्द्र एवं राज्यों के अलग–अलग कर ढ़ांचों को समान करने का विचार आया। तब सरकार द्वारा इस पर विचार करने के लिये एक "एम्पॉवर्ड कमिटी" का गठन किया गया। इसी बीच एनडीए की जगह यूपीए केन्द्र की सत्ता में आ गई एवं साल 2006 में तात्कालिन वित्त मंत्री पी. चिदंबरम ने जीएसटी के लिये रौडमेप तैयार करने हेतु राज्यों के वित्त मंत्रियों की एक अन्य "एम्पॉवर्ड कमिटी" का गठन किया। इस कमिटी ने अप्रेल 2008 अपनी रिपोर्ट पेश की।

वर्ष 2014 में 19 दिसंबर को वित्त मंत्री अरुण जेटली ने संवैधानिक (122वां संशोधन) बिल, 2014 लोक सभा में पेश किया जिसे मई 2015 में पास किया गया। मई 2015 में इसे राज्य सभा में चयन समिति को भेजा गया एवं चयन समिति ने जुलाई 2015 में इस बिल पर अपनी रिपोर्ट दी। और अंततः केन्द्र सरकार द्वारा जीएसटी" विधेयक को इस साल 3 अगस्त को राज्य सभा में एवं 8 अगस्त को लोक सभा में पास कर दिया गया है। चुंकि जीएसटी एक संविधान संशोधन बिल है अतः 29 राज्यों में से कम से कम 15 राज्यों की विधानसभा में इसकी मंजूरी आवश्यक है। राज्यों से पास होने के बाद जीएसटी विधेयक पर राष्ट्रपति की स्वीकृति ली जायेगी।

केन्द्र सरकार जीएसटी को 1 अप्रेल, 2017 से देश में लागू करना चाहती है लेकिन इसकी जटिल प्रक्रियाओं एवं सरकार की आधी अधूरी व्यवस्थाओं को देखते हुये इसका नियत समय पर लागू होना मुश्किल लग रहा है। किन वस्तुओं एवं सेवाओं पर जीएसटी लगेगा एवं किन वस्तुओं एवं सेवाओं को इससे बाहर रखा जायेगा इसकी सूची अभी जारी नहीं की गयी है लेकिन यह बताया गया है कि शराब, रियल एस्टेट और बिजली को छोड़कर सभी वस्तुओं पर यह कर लगेगा। इसके अलावा अभी पेट्रोलियम एवं इसके उत्पादों को भी जीएसटी के दायरे से बाहर रखा गया है लेकिन बाद में इनको भी दायरे में लाया जायेगा। जीएसटी संबंधी मुख्य बिंदु निम्न हैं:

**जीएसटी के मुख्य बिंदुः**

- जीएसटी को देश में केन्द्र एवं राज्यों में मौजूदा बहुत से अलग–अलग प्रकार के अप्रत्यक्ष करों की जगह एक अप्रत्यक्ष कर के रुप में स्थापित किया जायेगा। जीएसटी एक मुल्य संवर्द्धित एवं अंतिम उपभोग आधारित कर प्रणाली होगी।
- जीएसटी के मुख्य रुप से तीन का अंग होंगे जिनमें (1.) सीजीएसटी– जो केन्द्र सरकार द्वारा लगाया एवं संग्रहित किया जायेगा। (2.) एसजीएसटी– जो राज्य सरकारों द्वारा लगाया एवं संग्रहित किया जायेगा। (3.) आईजीएसटी– जिसे वस्तुओं एवं सेवाओं के अंतर्राज्यीय परिवहन एवं संचार पर केन्द्र सरकार वसूल कर आय को संबंधित राज्यों के बीच वितरित करेगी।
- केन्द्रीय–जीएसटी एवं इंटिग्रेटेड–जीएसटी संबंधी कानून केन्द्र सरकार द्वारा बनाये जायेंगे जबकि राज्य सरकारों को अपने स्टेट–जीएसटी संबंधी कानून बनाने होंगे।
- जीएसटी के क्रियांवयन एवं इसको सफल बनाने के लिये केन्द्र एवं राज्यों के प्रतिनिधियों की एक "जीएसटी काउंसिल" होगी जो कर की दर निर्धारित करने के साथ ही केन्द्र एवं राज्यों के बीच कोई विवाद होने एवं अन्य मुद्दों पर निर्णय करेगी।
- जीएसटी की दरें तीन प्रकार (मानक दर, निम्न दर एवं उच्च दर) की होगी जिसमें अधिकांश वस्तुओं एवं सेवाओं पर मानक दर से कर लगाया जायेगा। जबकि आवश्यक एवं कल्याणकारी वस्तुओं पर निम्न दर से तथा विलासिता एवं गैर कल्याणकारी वस्तुओं पर उच्च दर से कर लगाया जायेगा।

**जीएसटी के संभावित प्रभाव :**

जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है कि जीएसटी मौजूदा कर प्रणाली में केन्द्र एवं राज्य सरकारों द्वारा लगाये जा रहे करीब 20 से अधिक अप्रत्यक्ष करों की जगह लेगा। जीएसटी के लागू होने के बाद आर्थिक विकास एवं वृद्वि, महंगाई, सरकारों के राजस्व ढांचे एवं राज्यों की कर आय, विभिन्न क्षेत्रों एवं आम आदमी पर अनेक प्रकार के प्रभाव पड़ेंगे। लेकिन विभिन्न क्षेत्रों एवं स्तरों पर इसके प्रभावों की वास्तविकता जीएसटी के नियम, कर की दरों एवं इसके क्रियांवन की व्यवस्था निश्चित होने के बाद ही पता पड़ेगा। इसके कुछ संभावित प्रभाव निम्न हो सकते हैं।

**जीएसटी में शामिल किये जाने वाले केन्द्रीय एवं राज्य कर**

**केन्द्रीय कर** : केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, सेवा कर, अतिरिक्त सीमा शुल्क।

**राज्य कर** : राज्य बिक्री कर, मनोरंजन कर, केन्द्रीय बिक्री कर (जो केन्द्र लगाता है राज्य वसूलता है), चुंगी, प्रवेश, क्रय, विलासिता, लॉटरी, सट्टेबाजी कर।

**आर्थिक वृद्वि पर प्रभाव** : सरकार द्वारा यह बताया जा रहा है कि जीएसटी से आर्थिक वृद्वि दर में तेजी आयेगी एवं भारतीय अर्थव्यवस्था पर दूरगामी सकारात्मक प्रभाव पड़ेंगे। आर्थिक क्षमता का स्तर भी सुधरेगा एवं व्यापार आसान होगा। लेकिन यह बात बड़े व्यापारियों के लिये लाभकारी होगी, जबकि छोटे उत्पादकों एवं व्यापारियों के लिये यह व्यवस्था विशेष लाभकारी साबित नहीं होगी एवं उन्हें इस हेतु अपना तंत्र विकसित करना होगा। इसके अलावा पिछड़े क्षेत्रों में आधारभूत ढांचा बेहतर करने के लिये कोई विशेष प्रयास नहीं किये जाने के कारण निवेश की संभावनाएं कम रहने के परिणामस्वरुप क्षेत्रिय विषमताएं और बढ़ सकती हैं।

**महंगाई एवं वस्तुओं के मूल्यों पर प्रभाव** : महंगाई के मुद्दे पर केन्द्रीय वित्त मंत्री ने यह तो बताया कि मौजूदा विभिन्न प्रकार के अप्रत्यक्ष करों से वस्तुएं महंगी हो जाती है एवं नयी कर प्रणाली से इस परेशानी से छुटकारा मिल जायेगा। परंतु उन्होंने यह नहीं बताया कि जीएसटी के बाद वस्तुओं के मौजूदा मूल्यों में कमी आयेगी या नहीं। लेकिन आमतौर पर यह माना जा रहा है कि जीएसटी के

**शेष पृष्ठ 2 पर...**

## पंचायतों की आय के मुख्य स्रोत एवं इनके अंतर्गत करवाये जा सकने वाले कार्य

राज्य में पंचायती राज व्यवस्था के व्यवस्थित क्रियांवयन एवं संचालन हेतु यह आवश्यक है कि पंचायतों के चुने हुये प्रतिनिधियों, कार्यरत कर्मचारियों एवं आम लोगों को आय के प्रावधानों एवं विभिन्न स्रोतों से उपलब्ध आय एवं संसाधनों तथा इनसे करवाये जा सकने वाले कार्यों की जानकारी अवश्य हो। पंचायतों के आयोजना के अंतर्गत तय कार्यों को पूरा करने हेतु बजट का होना बेहद जरुरी है, जो पंचायतों के आय स्रोतों पर निर्भर करता है। पंचायतों की आय के स्रोतों में मुख्य रुप से निजी आय (कर एवं गैर कर राजस्व), राज्य सरकार से प्राप्त राशि (राज्य योजनाओं एवं राज्य वित्त आयोग की राशि) एवं केन्द्र सरकार से प्राप्त राशि (केन्द्रीय योजनाओं एवं राज्य वित्त आयोग की राशि) आदि प्रमुख हैं। इसके अलावा पंचायतों को सोसायटिज तथा विदेशी संस्थाओं द्वारा प्रायोजित योजनाओं हेतु आवंटन, पुरस्कार एवं उधार तथा कर्ज के रुप में भी आय प्राप्त होती है। पंचायतों को उपलब्ध आय एवं संसाधनों को बंधन तथा निर्बंध सहित दो श्रेणियों में बांटा जा सकता हैः

**1. टाईड फंड (बंधन कोष):** जिसे उन्हीं कार्यों पर खर्च करना होता है जिसके लिये यह राशि निर्धारित होती है। उदाहरण के लिये केन्द्र प्रवर्तित योजनाओं एवं राज्य आयोजना की राशि टाईड फंड होती है।

- केन्द्र प्रवर्तित योजनाओं की राशि।
- राज्य आयोजना की राशि।

**2. अनटाईड फंड (निर्बंध कोष)** : वह राशि जिससे पंचायतें अपनी आवश्यकतानुसार विभिन्न कार्य करवा सकती हैं। हालांकि इनके लिये भी कुछ दिशानिर्देश दिये जाते हैं जिन्हें मानना होता है। ऐसे फंड में राज्य वित्त आयोग, केन्द्रीय वित्त आयोग एवं पंचायत द्वारा स्वयं उगाहे गये कर से प्राप्त आय शामिल होती है।

- राज्य वित्त आयोग की राशि।
- केन्द्रीय वित्त आयोग की राशि।
- पंचायत द्वारा स्वयं उगाहे गये कर से प्राप्त आय।

यहाँ पर पंचायतों के निर्बन्ध आय के दो मुख्य स्रोतों राज्य वित्त आयोग एवं केन्द्रीय वित्त आयोग से प्राप्त धन एवं इस आय से करवाये जा सकने वाले कार्यों का विवरण प्रस्तुत किया जा रहा है।

**राज्य वित्त आयोग**

राज्य वित्त आयोग राज्य एवं स्थानिय निकायों–शहरी निकायों एवं ग्रामीण निकायों (जिला परिषदों, पंचायत समितियों एवं ग्राम पंचायतों) के बीच करों का निर्धारण, बंटवारा एवं अनुदानों की सीमा निर्धारित करता है। अब तक राज्य में 5 वित्त आयोग गठित किये जा चुके हैं एवं 5वें वित्त आयोग की अवधि 1 अप्रेल, 2015 से 31 मार्च, 2020 तक है।

**पांचवा राज्य वित्त आयोग** : पांचवें राज्य वित्त आयोग के प्रतिवेदन के अनुसार प्रत्येक जिले को आवंटित कुल राशि में से 5 प्रतिशत राशि जिला परिषद को, 15 प्रतिशत पंचायत समिति तथा शेष 80 प्रतिशत राशि ग्राम पंचायत को आंवटित की जाती है। राजस्थान पंचायती राज विभाग के वार्षिक प्रतिवेदन (2015–16) के अनुसार पंचायती राज संस्थाओं को 5वें राज्य वित्त आयोग के तहत वित्तीय वर्ष 2015–16 में 2073.75 करोड़ रू. के अनुदान हेतु बजट का प्रावधान किया गया। हालांकि पांचवें राज्य वित्त आयोग ने इस वर्ष (2016–17) के लिये राज्य की पंचायती राज संस्थाओं को अनुदान राशि देने के लिये रिपोर्ट अभी पेश नहीं की है। लेकिन राज्य सरकार के वित्त विभाग की बजट पुस्तिका के अनुसार राज्य में पंचायती राज संस्थाओं हेतु वर्ष 2016–17 में 2457.13 करोड़ रु. का वित्तीय प्रावधान किया गया है। इस राशि में से राज्य की ग्राम पंचायतों, पंचायत समितियों एवं जिला परिषदों को आवंटित कुल राशि के आधार पर प्रति ग्राम पंचायत/पंचायत समिति/जिला परिषद आवंटित राशि का विवरण निम्न तालिका में दर्शाया गया है।

**पांचवें राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा पर वर्ष 2016–17 में आवंटित राशि**

| स्तर | कुल राशि (करोड़ रु. में) | प्रति इकाई औसत राशि (लाख रु. में) |
|---|---|---|
| ग्राम पंचायत | 1965.70 | 19.87 |
| पंचायत समिती | 368.57 | 124.94 |
| जिला परिषद | 122.86 | 372.30 |

स्रोतः बजट पुस्तिका 2द, वित्त विभाग, राजस्थान सरकार, 2016–17

उपरोक्त तालिका के अनुसार वर्ष 2016–17 के बजट में राज्य वित्त आयोग के तहत जिला परिषदों हेतु करीब 122.86 करोड़ रु. की राशि का प्रावधान किया गया है। जबकि पंचायत समितियों हेतु 368.57 करोड़ रु. एवं ग्राम पंचायतों हेतु करीब 1965.70 करोड रु. की राशि का प्रावधान किया गया है। इस आधार पर राज्य में ग्राम पंचायतों, पंचायत समितियों एवं जिला परिषदों की कुल संख्या के आधार पर औसतन प्रति ग्राम पंचायत करीब 19.87 लाख रु., प्रति पंचायत समिति करीब 1.25 करोड़ रु. एवं प्रति जिला परिषद करीब 3.72 करोड़ रु. की राशि आवंटित की गयी है।

**पांचवें राज्य वित्त आयोग की राशि से करवाये जा सकने वाले कार्य** : पांचवें राज्य वित्त आयोग द्वारा पेश की गयी अंतरिम रिपोर्ट के आधार पर राजस्थान पंचायती राज विभाग के दिसंबर 14, 2015 के दिशानिर्देश के अनुसार इस आयोग के अंतर्गत प्राप्त राशि से पंचायतें निम्न कार्य करवा सकती हैं।

- ठोस कचरा प्रबंधन से संबंधित कार्य।
- गलियों एवं सड़कों पर प्रकाश व्यवस्था।
- पेयजल आपूर्ति।
- शवदाह एवं कब्रिस्तान का रख–रखाव।
- सफाई व्यवस्था।
- स्वच्छता एवं जल संरक्षण के उद्देश्य से आंतरिक सड़कों, सीमेंट कांकरीट रोड़ मय नाली निर्माण के कार्य।

**शेष पृष्ठ 4 पर...**

# राजस्थान में पोषण बजट: एक विश्लेषण

कुपोषण भारत में बच्चों की मृत्यु का एक प्रमुख कारण है और इससे निपटना केन्द्र एवं राज्य सरकारों की सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिये। वर्ल्ड बैंक के अनुसार भारत कुपोषण से पीड़ित बच्चों की संख्या में दुनिया में सबसे अधिक रैंकिग वाले देशों में से एक है। वर्ष 2015 में सतत् विकास लक्ष्यों (SDGs) में सभी प्रकार के कुपोषण को समाप्त करने को अपने लक्ष्यों में सम्मिलित किया है। मजबूत आर्थिक विकास एवं पिछले एक दशक में कुपोषण में महत्वपूर्ण गिरावट के बावजूद भारत में 16 प्रतिशत आबादी अभी भी कुपोषण से पीड़ित है। वैश्विक स्तर पर देखें तो विश्व की कुल कुपोषित जनसंख्या का 43 प्रतिशत भारत में है। रैपिड सर्वे ऑफ़ चिल्ड्रन (2014) के अनुसार वर्ष 2013–14 में राजस्थान, भारत के 29 राज्यों में नाटे व्यक्तियों में 10वें स्थान पर एवं दुर्बल व्यक्तियों की संख्या में 15वें स्थान पर है।

राजस्थान में पोषण संबंधी प्रयासों को ठीक से समझने के लिए, रिजल्ट्स फ़ॉर डेवलपमेंट इंस्टिट्युट (R4D) और बजट अध्ययन राजस्थान केन्द्र द्वारा पोषण के लिए बहु–क्षेत्रीय वित्तीय आंवटन के आंकलन हेतु एक अध्ययन किया गया, जिसमें राज्य सरकार के वर्ष 2016–17 के बजट का अवलोकन और वित्तीय वर्ष 2014–15, 2015–16 एवं 2016–17 की बजट प्रवृतियों का विश्लेषण किया गया। यहां पोषण के कुल वित्तीय आवंटन के आंकलन के लिए पोषण–विशेष कार्यक्रमों (वे कार्यक्रम जो पोषण को प्रत्यक्ष एवं परिमाणात्मक रूप से प्रभावित करते हैं) और पोषण–संवेदी योजनाओं (वे योजनाएं जो पोषण को परोक्ष रूप में प्रभावित करती हैं) का मूल्यांकन किया है। यहां पर अध्ययन के मुख्य निष्कर्ष प्रस्तुत किये जा रहे हैं:

**पोषण संबंधित बजट खर्च बेहद कमजोर रहा:** पोषण संबंधित बजट में पोषण–विशेष एवं पोषण संवेदी बजट शामिल है। राजस्थान में पोषण–विशेष योजनाओं में वित्तीय वर्ष 2014–15 के बजट अनुमान की तुलना में वास्तविक व्यय मात्र 76 प्रतिशत रहा जो यह दर्शाता है कि पोषण–विशेष कार्यक्रमों पर बजट का लगभग एक चौथाई हिस्सा उपयोग नहीं किया गया एवं पोषण संवेदी कार्यक्रमों के लिए बजट खर्च मात्र 77 प्रतिशत रहा जो कि राजस्थान राज्य के कुल बजट के व्यय के प्रतिशत दर (89 प्रतिशत) से कम है।

**पोषण संबंधित योजनाओं पर बजट आवंटन**

(राशि करोड़ रु. में )

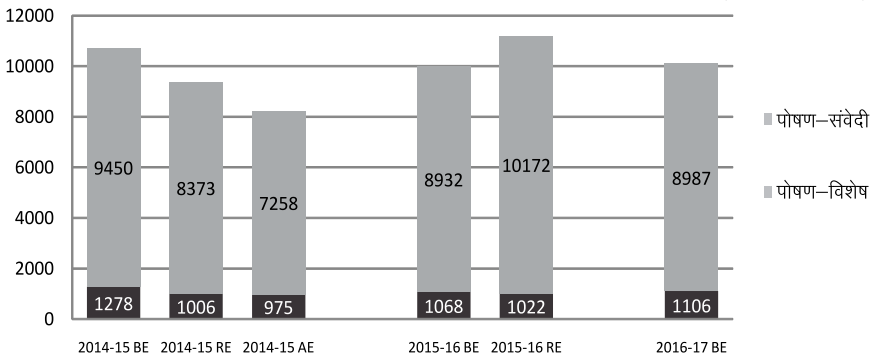


**राजस्थान में पोषण केन्द्रित बजट आवंटन वर्ष 2014–15 की अपेक्षा काफी कम रहा:** 2015–16 के बजट अनुमानों में पोषण–विशेष आवंटन पिछले वर्ष के बजट अनुमानों की अपेक्षा कम हो कर करीब 1,068 करोड़ रू. रह गया। यह कमी चिंताजनक है एवं इसका एक कारण हस्तांतरण–प्रक्रिया में बदलाव के परिणामस्वरूप समेकित बाल विकास योजना सहित केन्द्रीय प्रवर्तित योजनाओं में बजट कटौती होना है। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा वर्ष के दौरान पूरक बजट पारित कर समेकित बाल विकास योजना में कटौती की भरपाई कर दी गयी। वर्ष 2016–17 में पोषण–विशेष आवंटन करीब 1,106 करोड़ रू. का है, जो वर्ष 2015–16 के बजट अनुमान की अपेक्षा 3 प्रतिशत अधिक है जिसे सकारात्मक रूप से देखा जा सकता है। यदि वर्ष 2016–17 में आवंटित बजट का उपयोग बहुत ही बेहतर रहा तो संभव है कि वर्ष 2016–17 में वास्तविक व्यय अंततः हस्तांतरण से पूर्व के वास्तविक व्यय से अधिक हो जायेगा।

2016–17 में पोषण हेतु कुल वित्तीय आवंटन का लगभग 11 प्रतिशत भाग पोषण–विशेष कार्यक्रमों का रहा जिसमें अधिकांश हिस्सा समेकित बाल विकास योजना का था। समेकित बाल विकास योजना अम्ब्रेला योजना का पोषण–विशेष बजट में लगभग 97 प्रतिशत एवं कुल पोषण योजना बजट में 10.6 प्रतिशत का योगदान है। पोषण–विशेष बजट में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन का योगदान मात्र 3 प्रतिशत है एवं कुल पोषण बजट में 0.4 प्रतिशत है। इस योजना का प्रमुख पोषण कार्यक्रमों में विशेष हस्तक्षेप है परन्तु राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के कुल बजट का बहुत छोटा भाग ही सीधे पोषण संबंधित स्वास्थ्य कार्यक्रमों पर आवंटित किया जाता है।

कुल पोषण बजट का शेष 89 प्रतिशत भाग पोषण–संवेदी कार्यक्रमों से आता है। सफाई एवं स्वच्छता सम्बंधित योजनायें, स्वच्छ भारत अभियान एवं संम्पूर्ण स्वच्छता अभियान सहित, कुल पोषण बजट आवंटन में सबसे बड़ा हिस्सा करीब 31 प्रतिशत है। कृषि क्षेत्र का, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, सार्वजनिक वितरण योजना एवं फसल एवं कृषि कार्य संबंधी योजनाओं के माध्यम से, पोषण बजट में महत्वपूर्ण योगदान (करीब 17 प्रतिशत) है।

**पोषण हेतु वित्तीय आवंटन (2016–17)**

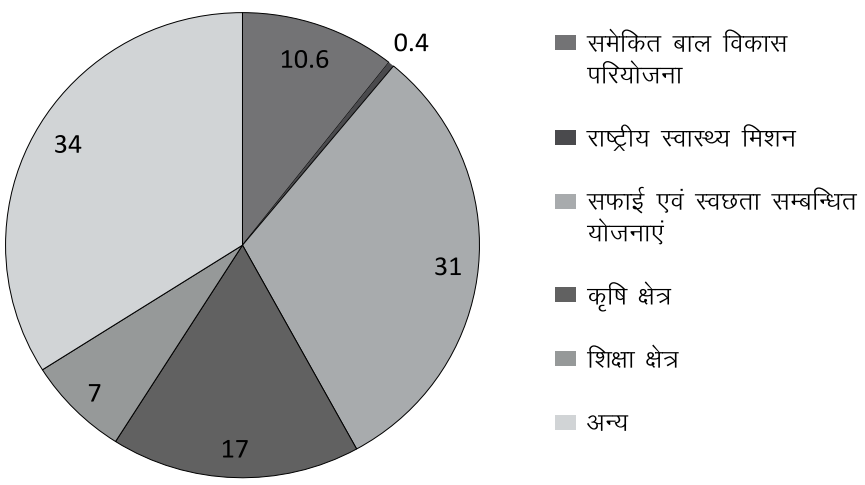


शिक्षा क्षेत्र की योजनाएं जैसे मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम (MDM) का कुल पोषण बजट में करीब 7 प्रतिशत का योगदान है।

**2015–16 में पोषण के लिए महत्वपूर्ण बजट अधिकांशतः खर्च नहीं हो पाया:** राजस्थान राज्य के कुल पोषण बजट के उपयोग को देखा जाए तो वर्ष 2014–15 में बजट अनुमान की अपेक्षा वास्तविक व्यय करीब 11 प्रतिशत कम रहा। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय और चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा चलाये जा रहे कार्यक्रमों पर नजर डालें तो पता चलता है कि राज्य के कुल औसत बजट खर्च की अपेक्षा इन कार्यक्रमों में खर्च बहुत ही कम है। समेकित बाल विकास योजना हेतु आवंटित बजट की करीब 27 प्रतिशत राशि उपयोग नहीं हो पाई, जिसका मतलब यह है कि जिस विभाग पर पोषण–विशेष कार्यक्रमों की सबसे अधिक ज़िम्मेदारी है, उसमें भी वित्तीय वर्ष 2014–15 में बजट अनुमान का एक चौथाई से अधिक भाग खर्च नहीं हो पाया। वर्ष 2014–15 में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन में भी आवंटित बजट की बहुत अधिक राशि (41 प्रतिशत) खर्च नहीं हो पायी जिससे अधिशेष राशि काफी बढ़ गयी।

उपरोक्त विश्लेषण के आधार पर राज्य में कुपोषण की समस्या से निपटने की लिये मुख्य सुझाव निम्न हैं:

**पोषण–विशेष कार्यक्रमों के प्रभाव को अधिकतम किया जाये:** कम बजट आवंटन, आवंटित बजट का कम उपयोग और अपर्याप्त नियोजन, मौजूदा पोषण–विशेष कार्यक्रमों के अधिकतम प्रभावी होने में अवरोधक हैं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय तथा महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा, जो राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन एवं समेकित बाल विकास परियोजना को संचालित करते हैं, वो कुछ कदम उठा सकते हैं जैसे पोषण–विशेष कार्यक्रमों के लिए बजट में वृद्धि, वर्तमान में आवंटित बजट के उपयोग को बढ़ाना एवं बजट को सर्वाधिक प्रभावशाली कार्यक्रमों की दिशा में आवंटित करना। राजस्थान में पोषण–विशेष कार्यक्रमों के लिए बजट संसाधन अनुमानित आवश्यकता को पूरा करने में लगातार अपर्याप्त रहे हैं और केंद्र द्वारा राज्यों हेतु वित्तीय हस्तांतरण में बदलाव के परिणामस्वरूप इनको अधिक अबंध निधियों का हस्तांतरण होने के बावजूद इनके बजट में कोई विशेष बढ़ोतरी नहीं हुई है। पूरक पोषण के लिए संसाधन अंतर को समाप्त करने के लिए अतिरिक्त बजट राशि की आवश्यकता होने के बावजूद पूरक पोषण कार्यक्रम हेतु वर्ष 2016–17 के बजट अनुमान में पिछले वर्ष के मुकाबले बजट नहीं बढ़ाया गया है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत पोषण–विशेष कार्यक्रमों के लिए आवश्यक संसाधन जूटाने हेतु व्यापक रूप से बजट राशि में वृद्धि की आवश्यकता है। पूर्व में कम आवंटन की शिकार शिशु एवं बाल पोषण गतिविधियों को हाल ही में शुरू की गई मदर्स अब्सोल्यूट अफेक्शन योजना हेतु राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत पोषण–विशेष बजट बढ़ाने की दिशा में एक सकारात्मक कदम है। वर्ष 2014–15 में समेकित बाल विकास योजना के बजट आवंटन का 72 प्रतिशत और राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन में बजट आवंटन का केवल 59 प्रतिशत ही उपयोग किया गया। अतः कहा जा सकता है कि समेकित बाल विकास परियोजना का करीब एक चौथाई हिस्सा और राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन का 40 प्रतिशत से अधिक भाग उपयोग में नहीं किया गया, जबकि पोषण बजट का पूरा उपयोग करके पोषण की दशा में काफी सुधार लाया जा सकता है।

**पोषण–संवेदी कार्यक्रमों के प्रभाव को अधिकतम सीमा तक बढ़ाया जाये:** पोषण–संवेदी कार्यक्रमों के लिए आवंटित बजट को देखते हुए, पोषण को सकारात्मक रूप से प्रभावित करने वाली इन योजनाओं के घटकों के लिए आवंटित बजट के समुचित उपयोग से ही राजस्थान में कुपोषण की समस्या को समाप्त किया जा सकता है। वर्ष 2016–17 में सरकार ने हाथ धोने की आवश्यकता के परामर्श हेतु आवश्यक संसाधनों में से मात्र 3 प्रतिशत से भी कम के लिए बजट प्रावधान किया। स्वच्छ भारत अभियान के सूचना, शिक्षा एवं संचार अवयव के लिए बजट आवंटन बढ़ने से राजस्थान में बच्चों के रोगों की रोकथाम एवं पोषण–परिणामों को बेहतर करने में महत्वपूर्ण योगदान मिल सकता है।

**शेष पृष्ठ 3 पर...**

## पृष्ठ 1 का शेष, वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी)...

कारण महंगाई में बढ़ोतरी होगी जो काफी हद तक जीएसटी की दर पर निर्भर करेगी। विपक्षी दल ने जीएसटी की दर अधिकतम 18 प्रतिशत रखने की मांग रखी है लेकिन अधिकांश राज्य 18 प्रतिशत की दर पर राजी नहीं हैं। इनका कहना है कि केन्द्र 12 प्रतिशत तक उत्पाद शुल्क लगाता है एवं राज्यों के वैट को जोड़ते हुये आधे से अधिक उत्पादों पर करीब 27 प्रतिशत कर लगता है। इसके अलावा चुंकि जीएसटी के बाद सभी अप्रत्यक्ष करों को खत्म कर दिया जायेगा जिसका असर राज्यों की आय पर पड़ेगा। इसलिये राज्य जीएसटी की दर अधिक रखने की मांग कर रहे हैं एवं यदि जीएसटी की दर अधिक रखी जाती है तो महंगाई बढ़ना लाजमी है।

हालांकि जीएसटी की दर काउंसिल द्वारा निर्धारित की जायेगी एवं यह माना जा रहा है कि जीएसटी की मानक दर 18 प्रतिशत के रहने पर महंगाई में विशेष बढ़ोतरी नहीं होगी। लेकिन जानकारों का मानना है कि यदि मानक दर 22 प्रतिशत या इससे अधिक रखी जाती है तो जाहिर है यह महंगाई को बढ़ायेगी। इसके अलावा नयी कर प्रणाली से आय की विषमता भी बढ़ेगी क्योंकि जीएसटी अमीर एवं गरीब व्यक्तिओं पर समान दर से लगाया जायेगा।

**जीएसटी का राज्यों एवं इनकी स्वायत्तता पर प्रभाव :** देश में जीएसटी से केन्द्र एवं राज्यों के कर संबंधों में बदलाव एवं राज्यों के कर एवं राजकोषिय अधिकार कम होने से राजकोषिय स्वायत्तता प्रभावित होगी। इसके अलावा औद्योगिक उत्पादक एवं विनिर्माण बहुल राज्यों को इससे नुकसान होगा एवं इसी कारण से इस प्रकार के राज्य इस विषय पर विरोध जाहीर कर केन्द्र सरकार का ध्यान आकर्षित कर रहे हैं। पिछड़े एवं कमजोर राज्यों के साथ उत्पादक राज्यों की राजस्व आय पर भी विपरीत प्रभाव पड़ेगा। हालांकि जीएसटी विधेयक के मुताबिक राज्यों को 5 साल तक इस नुकसान की पूर्ण भरपाई केन्द्र सरकार द्वारा किये जाने की गारंटी दी गयी है। इसके अलावा सरकार का कहना है कि जीएसटी दर को राजस्व तटस्थ दर (Revenue Neutral Rate-RNR) के अनुसार रखा जायेगा जिससे राज्यों एवं केन्द्र की राजस्व आय जीएसटी से पूर्व की आय के समान ही रहेगी।

देश के विभिन्न राज्य जीएसटी काउंसिल में राज्यों के आरक्षण अनुपात एवं अपने अधिकारों को लेकर भी अपनी परेशानी व्यथित कर रहे हैं। क्योंकि जीएसटी काउंसिल में केन्द्र एवं राज्यों का आरक्षण अनुपात भी काफी असंगत बताया जा रहा है। इस काउंसिल में केन्द्र का एक–तिहाई एवं राज्यों (सभी को मिलाकर) का अनुपात दो–तिहाई निश्चित किया गया है। जबकि जीएसटी काउंसिल की बैठक हेतु इसके कुल सदस्यों के 50 प्रतिशत सदस्यों की उपस्थिति आवश्यक है एवं उपस्थित सदस्यों के तीन–चौथाई बहुमत से निर्णय लिये जाने का प्रावधान है। लिहाजा काउंसिल में किसी एक राज्य या कुछ राज्यों का अधिकार एवं प्रभाव ना के बराबर रहेगा।

उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि जीएसटी का मूल उद्देश्य समान कर व्यवस्था से राज्यों में कर प्रशासन को सरल बनाते हुये देश में साझा बाजार स्थापित कर उत्पादन, कारोबार एवं सेवा क्षेत्र को सहज करके संपूर्ण अर्थव्यवस्था के विकास को संभव बनाना है। लेकिन भारत जैसे विकासशील देश में मौजूदा ढांचागत सुविधाओं जिसमें प्रशिक्षित मानव संसाधन की कमी, उन्नत तकनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी (IT) का अभाव एवं क्षेत्रिय विषमताओं को देखते हुये इसका क्रियांवयन काफी चुनौतिपूर्ण होगा। राज्यों में क्षेत्रिय विषमताओं के बढ़ने के साथ ही उनकी कर राजस्व आय पर भी विपरित प्रभाव पड़ेगा। इसके अलावा यदि करों की दर अधिक रखी जाती है तो महंगाई और बढेगी जिससे अंततः आम आदमी ही प्रभावित होगा। विशेषरुप से यह गरीब व कमज़ोर वर्गों को अधिक प्रभावित करेगा क्योंकि इनकी आय का अधिकांश भाग दैनिक उपभोग पर खर्च होता है। अतः सरकार को उपरोक्त मुद्दों एवं चुनौतियों को ध्यान में रखकर इसके कानूनों, नियमों, कर की दरों एवं क्रियांवयन को सुनिश्चित करना चाहिये।

# राजस्थान में अल्पसंख्यक विकास के कार्यक्रम एवं बजट

भारत एक बहु–जातीय, बहु–सांस्कृतिक, बहु–भाषीय एवं बहु–धार्मिक देश है। हज़ारों सालों से यहाँ विभिन्न धर्मों के लोग एक साथ रह रहे हैं। जनगणना 2011 के अनुसार भारत की कुल आबादी के लगभग 80 प्रतिशत लोग हिन्दू धर्म से हैं, 14.2 प्रतिशत लोग मुस्लिम और 2.3 प्रतिशत, 1.72 प्रतिशत, 0.7 प्रतिशत एवं 0.37 प्रतिशत लोग क्रमशः इसाई, सिख, बौद्ध, एवं जैन धर्म से हैं। हमारा संविधान अल्पसंख्यक कौन है इसका उल्लेख नहीं करता है। हालाँकि संविधान के अनुच्छेद 29, अनुच्छेद 30, तथा अनुच्छेद 350 में अल्पसंख्यक शब्द का इस्तेमाल किया गया है पर इसकी परिभाषा संविधान में नहीं मिलती है। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम 1992 के अनुसार मुस्लिम, इसाई, सिख, बौद्ध, एवं पारसी समुदायों के लोगों को अल्पसंख्यकों की श्रेणी में रखा गया है। बाद में जैन धर्म के लोगों को भी इस श्रेणी में शामिल किया गया। हालाँकि मुस्लिम धर्म के लोगों को भारत में अल्पसंख्यकों की श्रेणी में रखा गया है परन्तु हमारे देश में मुस्लिम धर्म के अनुयाइयों की संख्या हमारे देश को विश्व का दूसरा सबसे मुस्लिम बहुल राष्ट्र बनाता है।

मुस्लिम समुदाय देश के सबसे पिछड़े वर्ग में शामिल हैं, इनमें बेरोजगारी दर भी बहुत अधिक है। अल्पसंख्यक समुदाय के लोग हिंसा और अभाव से भरा जीवन जीने के लिए मजबूर हैं। अक्सर यह देखा गया है कि अल्पसंख्यकों के अधिकारों का हनन वर्तमान सामाजिक एवं राजनीतिक व्यवस्था के कारण होता रहा है जिसके परिणामस्वरूप अल्पसंख्यकों को सरकारी योजनाओं और उनसे मिलने वाले लाभों से दूर रखा जाता है।

जनगणना 2011 के आंकड़ों के हिसाब से राजस्थान में करीब 11.41 प्रतिशत अल्पसंख्यक हैं, जिनमें से 9.07 प्रतिशत मुस्लिम, 0.14 प्रतिशत इसाई, 1.27 प्रतिशत सिख, 0.02 प्रतिशत बौद्ध तथा 0.91 प्रतिशत लोग जैन धर्म के अनुयायी हैं। पिछले दशक में राज्य में अल्पसंख्यकों की संख्या 1.43 प्रतिशत बढ़ी है।

**राजस्थान में अल्पसंख्यकों हेतु योजनायें एवं इनकी पहुंच :**

भारत सरकार तथा राज्य सरकार विभिन्न मंत्रालयों के माध्यम से अल्पसंख्यकों के लिए अनेक योजनायें चला रही है। उदहारणस्वरुप बहु–क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम, पोस्ट मैट्रिक छात्रवृति, मेरिट कम मीन्स योजना, अनुप्रति योजना, फ्री कोचिंग और अलाइड योजना, अल्पसंख्यक छात्र छात्राओं के लिए निःशुल्क आवासीय छात्रावास की योजना, अल्पसंख्यक युवाओं के लिए कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम की योजना, अल्पसंख्यक महिलाओं हेतु नेतृत्व विकास योजना आदि कल्याणकारी योजनायें अल्पसंख्यकों के विकास एवं उत्थान के लिए चलाई जा रही हैं। राज्य में अल्पसंख्यकों के लिए चलाई जाने वाली ज्यादातर कल्याणकारी योजनायें अल्पसंख्यक विभाग द्वारा चुने गए 16 विकास खण्डों और 16 नगरों में चलायी जा रहीं हैं।

बजट अध्ययन राजस्थान केंद्र द्वारा वर्ष 2014 में शहरी मुस्लिम परिवारों की सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति तथा सरकारी योजनाओं तक उनकी पहुँच को समझने के लिए एक अध्ययन किया गया था। इस अध्ययन में इन समुदायों से जुड़े कुछ निराशाजनक तथ्य निकल कर आये। अध्ययन से यह पता चला कि शहरी मुस्लिम समुदाय सामाजिक एवं आर्थिक आंकड़ों में काफी पिछड़े हैं। इनमें शिक्षा का स्तर, बेरोजगारी दर बाकि अल्पसंख्यक समुदायों की तुलना में बहुत निराशाजनक है यहाँ तक कि कामकाजी लोगों के पास भी आय के नियमित स्रोत उपलब्ध नहीं है। इसके अलावा इन परिवारों को शिक्षा, स्वास्थ्य, भोजन इत्यादि से जुड़ी सरकारी योजनाओं का समुचित लाभ भी नहीं मिल पा रहा है।

सरकारी योजनाओं के सही क्रियान्वयन में सरकारी बजट और उसके खर्च का बहुत योगदान होता है। सही बजट आवंटन एवं इसका सही इस्तेमाल सरकार की मंशा और अल्पसंख्यक समुदायों के मुद्दों के प्रति उनके रुझान को दर्शाता है।

**अल्पसंख्यक मामलात विभाग एवं इसका बजटः**

केंद्र सरकार की तर्ज पर राज्य सरकार द्वारा भी मंत्रिमंडल सचिवालय की अधिसूचना के आधार पर अल्पसंख्यक मामलात विभाग का वर्ष 2009 में गठन किया गया। इस विभाग का गठन अल्पसंख्यकों के लिए कल्याणकारी योजनाओं की निगरानी, उनकी समस्याओं और शिकायतों के समाधान हेतु किया गया।

नीचे दी हुई तालिका में राजस्थान सरकार के पिछले तीन साल के कुल बजट में अल्पसंख्यक विभाग को आवंटित किये गए बजट तथा राज्य के बजट में उसके प्रतिशत को दर्शाया गया है।

**तालिका 1: राज्य में अल्पसंख्यक मामलात विभाग का बजट (करोड़ रू. में)**

| वर्ष | कुल राज्य बजट | अल्पसंख्यक विभाग का बजट | प्रतिशत |
|---|---|---|---|
| 2014–15 (बजट अनुमान) | 131426.89 | 115.5 | 0.08 |
| 2014–15 (संशोधित अनुमान) | 126111.62 | 87.53 | 0.06 |
| 2014–15 (वास्तविक व्यय) | 116605.48 | 79.5 | 0.06 |
| 2015–16 (बजट अनुमान) | 137713.38 | 102.166 | 0.07 |
| 2015–16 (संशोधित अनुमान) | 180420.42 | 109.62 | 0.06 |
| 2016–17 (बजट अनुमान) | 171260.99 | 155.47 | 0.09 |

स्रोतः बजट पुस्तिका, राजस्थान सरकार

तालिका में दर्शाए हुए आंकड़ों से यह स्पष्ट है कि राजस्थान में अल्पसंख्यक विभाग के लिए आवंटित बजट, कुल बजट का मात्र 0.07 प्रतिशत है और इस विभाग के पास राज्य की लगभग 11.41 प्रतिशत आबादी को देखने की जिम्मेवारी है। इस विभाग की जिम्मेदारियों में निम्नलिखित कार्यक्रम शामिल हैं: (1) प्रधानमंत्री के नये 15 सूत्री कार्यक्रमों का क्रियान्वयन, (2) अल्पसंख्यक समुदाय हेतु मैट्रिक छात्रवृत्ति, उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति, मेरिट–कम–मीन्स छात्रवृत्ति, (3) मौलाना आजाद एजुकेशनल फाउंडेशन से सम्बन्धी कार्य, (4) राजस्थान राज्य अल्पसंख्यक आयोग के द्वारा अल्पसंख्यकों के विकास की प्रगति का मूल्यांकन व हितों के संरक्षण का कार्य, (5) राजस्थान अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास सहकारी निगम लिमिटेड के माध्यम से ऋण का वितरण, (6) अल्पसंख्यक समुदाय के कल्याण सम्बन्धी कार्य, (7) राजस्थान वक्फ सम्पत्तियों सम्बन्धी कार्य, (8) मदरसा शिक्षा गुणवक्तायुक्त कार्य। यह समझना अत्यंत आवश्यक है कि यह बजट इन सब कार्यों के लिए पर्याप्त है या नहीं।

**अल्पसंख्यकों हेतु प्रमुख योजनाऐं एवं बजटः**

नीचे दी गयी तालिका में राज्य में अल्पसंख्यकों से जुड़ी कुछ योजनाओं के पिछले कुछ वर्षों के बजट आवंटन एवं खर्च को दर्शाया जा रहा है।

**तालिका 2: राजस्थान में अल्पसंख्यकों से जुड़ी योजनायें तथा उनका बजट ( लाख रू. में)**

| योजना | 2014–15 वास्तविक व्यय | 2015–16 बजट अनुमान | 2015–16 संशोधित अनुमान | 2016–17 बजट अनुमान |
|---|---|---|---|---|
| बहु–क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम | 739.12 | 1022.74 | 3470.34 | 5691.79 |
| उत्तर मैट्रिक छात्रवृति | 819.98 | 25 | 25 | 0.06 |
| अनुप्रति योजना | 9.9 | 20 | 30 | 30 |
| फ्री कोचिंग और अलाइड योजना | – | 1 | 1 | – |
| निःशुल्क आवासीय छात्रावास योजना | 196.21 | 686.02 | 453.05 | 604.48 |
| मदरसा विद्यालयों के लिए बजट | 4582.73 | 6331.7 | 4280 | 6630.25 |
| अल्पसंख्यक क्षेत्रों में आई.टी.आई (ITI) | – | 9 | 9 | 202.52 |

स्रोतः बजट पुस्तिका, राजस्थान सरकार

सरकार द्वारा अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों के कल्याण हेतु समय–समय पर विभिन्न प्रयास किये जाते रहे हैं। ऊपर दी गई तालिका में अल्पसंख्यकों के लिए संचालित कुछ सरकारी योजनाओं का पिछले दो सालों का बजट आवंटन दर्शाया गया है। बहु–क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम एक विशेष क्षेत्रीय योजना के रूप में केंद्र सरकार द्वारा लागू किया गया कार्यक्रम है जिसे अल्पसंख्यक बाहुल्य क्षेत्रों में आवश्यक विकास की कमी को दूर करने हेतु प्रारंभ किया गया है। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य अल्पसंख्यक वर्ग से जुड़े लोगों की सामाजिक एवं आर्थिक जीवन की मूलभूत जरूरतों जैसे शिक्षा, स्वच्छता, पक्के मकान, साफ पेयजल, विद्युत आपूर्ति, आय प्राप्ति, तथा संसाधन वृद्धि को पूरा कर इनका जीवन स्तर सुधारना है। अगर हम बहु–क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम के बजट पर नजर डालें तो हमें यह पता चलेगा कि वर्ष 2014–15 के वास्तविक व्यय की तुलना में 2016–17 के बजट अनुमान में लगभग आठ गुना बढ़ोतरी हुई है। इस बजट का कितना हिस्सा लाभार्थियों तक पहुँच पा रहा है यह एक अध्ययन का विषय है।

उत्तर मैट्रिक छात्रवृति का मुख्य उद्देश्य अल्पसंख्यक समुदायों के आर्थिक रूप से कमजोर बच्चों को उच्च शिक्षा में सहयोग देना है। यह छात्रवृति उन छात्रों को दी जाती है जिन्होने पिछली परीक्षा में 50 प्रतिशत से ज्यादा अंक पाए हैं और उनके माता–पिता व अभिभावक की सभी स्रोतों से वार्षिक आय 2 लाख रू. से कम है। इस छात्रवृति में पिछले दो वर्षों में भारी कमी की गयी है। जहाँ 2014–15 में 819. 98 लाख खर्च किये गए थे, वहीं पिछले वर्ष 2015–16 के संशोधित बजट अनुमान में मात्र 25 लाख रू. आवंटित किये गए। इसके अलावा वर्ष 2016–17 के बजट अनुमान में फिर से कटौती की गयी और मात्र 6 हजार रू. आवंटित किये गए। इस योजना की राशि में कटौती काफी निराशाजनक है।

इसके अलावा वित्तीय वर्ष 2011 में अनुप्रति योजना शुरू की गयी। इस योजना के अंतर्गत अल्पसंख्यक समुदायों के प्रतिभावान छात्रों को अलग अलग प्रतियोगी परीक्षाओं जैसे IIT, IIM, AIIMS, NIT, CLAT, IISc बैंगलोर, भारतीय सिविल सेवा परीक्षा, राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित परीक्षा इत्यादि के लिए प्रोत्साहन राशि दिए जाने का प्रावधान किया गया है। जैसा की ऊपर दी हुई तालिका से स्पष्ट है कि इस योजना के अंतर्गत आवंटित राशि में पिछले दो सालों में तीन गुना बढ़ोतरी हुई है। जहाँ 2014–15 में 9 लाख रू. खर्च किये गए थे वहीं 2016–17 के बजट अनुमान में 30 लाख रू. आवंटित किये गए हैं। परन्तु इसके साथ–साथ सरकार ने फ्री कोचिंग और अलाइड योजना में बिल्कुल भी आवंटन नहीं किया है। फ्री कोचिंग और अलाइड योजना में पिछले वर्ष एक लाख रू. आवंटित किया गया था परन्तु 2016–17 के बजट अनुमान में इसमें एक भी रूपया आवंटित नहीं किया गया है।

सरकार अल्पसंख्यक छात्रों के लिए निःशुल्क आवासीय छात्रावास की योजना भी चला रही है। इस योजना के तहत अल्पसंख्यक समुदायों के कक्षा 9वीं से 12वीं के छात्रों, महाविद्यलय स्तर के छात्र–छात्राओं एवं प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थान में उच्च शिक्षा की कोचिंग हेतु अध्यनरत छात्र–छात्राओं के लिए अल्पसंख्यक छात्रावास स्थापित किये गए हैं जिनको स्वयंसेवी संस्थाओं के माध्यम से संचालित किया जाता है। इस योजना में कुल आवंटित राशि में 2014–15 की वास्तविक व्यय की तुलना में 2016–17 के बजट अनुमान में काफी बढ़ोतरी हुई है। कुल मिलाकर वर्ष 2015–16 के बजट अनुमान की तुलना में इस योजना के अंतर्गत वर्ष 2016–17 के बजट अनुमान में लगभग 12 प्रतिशत की कमी हुई है।

इनके अलावा सरकार राज्य में मदरसों के संचालन एवं अल्पसंख्यक क्षेत्रों में ITI के लिए भी बजट आवंटित करती है। वर्ष 2014–15 के वास्तविक खर्च की तुलना में 2016–17 में मदरसों के लिए बजट अनुमान में लगभग 45 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है। इसी प्रकार इस वर्ष सरकार ने अल्पसंख्यक क्षेत्रों में ITI के लिए 202.52 लाख रू. आवंटित किये हैं जो पिछले वर्ष के बजट अनुमान में मात्र 9 लाख रू था। इनके अलावा सरकार अल्पसंख्यकों के लिए कुछ और योजनायें भी चला रही है जैसे– अल्पसंख्यक युवाओं के लिए कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम योजना, अल्पसंख्यक महिलाओं हेतु नेतृत्व विकास योजना, मैट्रिक पूर्व छात्रवृति इत्यादि।

सरकारी योजनाओं की घोषणा एवं उनका बजट आवंटन ही पर्याप्त नहीं है। अलग–अलग अध्ययनों से यह बात सामने आई है कि इन समुदायों के लोगों को उनके लिए क्रियान्वित सरकारी योजनाओं की जानकारी नहीं है जिसके कारण वह इन योजनाओं के लाभ से अभी तक वंचित हैं। जरुरी है कि सरल एवं संक्षिप्त आवेदन प्रक्रिया के द्वारा राज्य के इन समुदायों के लोगों को सरकारी योजनाओं के साथ जोड़ा जाये एवं उचित समय पर लोगों को इन योजनाओं का लाभ प्रदान किया जाये ताकि सामाजिक, आर्थिक रूप से पिछड़े समुदायों के जीवन स्तर में गुणात्मक सुधार लाया जा सके।

**पृष्ठ 1 का शेष, राजस्थान में पोषट बजट....**

मिड–डे–मील योजना के अन्तर्गत दिए जाने वाले भोजन में विटामिन एवं खनिज युक्त अनाज के प्रयोग तथा दूध, अंडे और फल जैसे पदार्थ शामिल कर, इसको अधिक पोषक बनाया जा सकता है जिससे बढ़ते बच्चों की पोषण आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके।

**कुपोषण समाप्त करने हेतु एक स्वतंत्र पोषण मिशन की स्थापना की जाएः** कुपोषण की समस्या से निपटने के लिए एक मजबूत राजनैतिक इच्छा शक्ति तथा अंतर्विभागीय समन्वय की आवश्यकता है। कुपोषण समाप्त करने हेतु स्पष्ट दिशानिर्देश होने के साथ एक राज्य–स्तरीय समन्वय समिति का गठन किया जाना चहिये जिसके माध्यम से पोषण एजेंडे को आगे बढ़ाया जा सके। राजस्थान में एक स्वतंत्र पोषण मिशन के लिए सभी विभागों द्वारा साथ काम करके पोषण–कार्यक्रमों के लिए संसाधन जूटाए जा सकते हैं। समेकित बाल विकास योजना एवं राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के बीच चल रहे सामंजस्य (convergence) एवं समन्वय के प्रयासों में सहयोग कर और अन्य पोषण–संबंधी विभागों के आपसी सामंजस्य को प्रोत्साहित करके, राज्य के लिए पोषण लक्ष्य निर्धारित किये जा सकते हैं। इसके अलावा एक नियमित निगरानी प्रणांली के माध्यम से कार्यक्रमों के क्रियान्वयन एवं इनकी प्रगति पर नजर रखी जा सकती है और आंकड़ों एवं अन्य साक्ष्य–आधारित पोषण–बजटिंग एवं योजनाओं के लिए पद्धतियां विकसित की जा सकती हैं।

**पृष्ठ 1 का शेष, पंचायतों की आय के मुख्य स्रोत....**

- बस अड्डे, प्याऊ एवं सार्वजनिक संपत्तियों का रख–रखाव।
- पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचित जन प्रतिनिधियों का प्रशिक्षण।
- सामुदायिक हॉल का निर्माण एवं रख–रखाव।
- प्राथमिक स्वास्थ्य सुविधाओं का रख–रखाव।
- ई–गवर्नेन्स/अटल सेवा केन्द्रों के सुचारू संचालन के लिए खर्च।
- सूचना प्रौद्योगिकी के उपयोग के लिए खर्च।
- लिंग संवेदनशीलता, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के प्रचार–प्रसार के लिए।
- जनता जल योजना के रख–रखाव को सम्मिलित करते हुए पेयजल व्यवस्थाओं के लिए।
- जल संरक्षण के प्रचार–प्रसार एवं जागरूकता के लिए।
- वृक्षारोपण के प्रचार–प्रसार एवं जागरूकता के लिए।
- एल.ई.डी. लाइटों के प्रयोग के प्रचार–प्रसार एवं जागरूकता के लिए।
- स्वच्छ भारत अभियान के लिए
- सौलर लाइटों के प्रचार–प्रसार एवं जागरूकता के लिए।
- पेयजल के लिए आर. ओ. प्रणाली के लिए ।
- मुकदमेबाजी से मुक्त गांव के प्रचार–प्रसार एवं जागरूकता के लिए।

**केन्द्रीय वित्त आयोगः**

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 के अनुसार केन्द्रीय स्तर पर केन्द्रीय वित्त आयोग का गठन किया जाता है जिसका प्रमुख कार्य केन्द्र एवं राज्यों के मध्य वित्तीय संबंधों को निर्धारित करना है। इसके अंतर्गत आयकर, उत्पाद शुल्क जैसे केन्द्रीय करों का केन्द्र एवं राज्यों के बीच बंटवारा, राज्यों को दिये जाने वाले अनुदानों एवं ऋणों का निर्धारण किया जाना शामिल है। संविधान के अनुसार यह आयोग प्रत्येक पाँच वर्ष में गठित किया जाता है एवं अब तक 14 केन्द्रीय वित्त आयोग गठित किये जा चुके हैं।

**चौदहवां केन्द्रीय वित्त आयोग :** 14वें वित्त आयोग की अवधि 2015–16 से 2019–20 तक है एवं इसके अंतर्गत ग्राम पंचायतों को कुल अनुदान का 90 प्रतिशत बुनियादी अनुदान तथा 10 प्रतिशत निष्पादन अनुदान इनको कार्य प्रगति के आधार पर दिए जाने का सुझाव दिया है। कार्य प्रगति अनुदान पंचायतों द्वारा उनके खाते (अकाउंट) के सीएजी के निर्देशानुसार सही रख रखाव पर ही दिया जायेगा। चौदहवें वित्त आयोग द्वारा मूल अनुदान तथा कार्य निष्पादन अनुदान केवल ग्राम पंचायतों को ही देने का प्रावधान किया गया है।

14वें वित्त आयोग द्वारा 5 वर्ष की अवधि में राजस्थान के ग्राम पंचायतों को कुल 13633 करोड़ रु. आवंटित करने का प्रावधान किया गया है जिसमें 12270 करोड़ रु. मूल अनुदान तथा 1363 करोड़ रु. का निष्पादन अनुदान देने का प्रावधान किया गया है।

**प्रति ग्राम पंचायत औसत मूल अनुदान :**

**14वें वित्त आयोग के अंतर्गत राज्य को 5 वर्ष (2015–16 से 2019–20) के लिये प्रस्तावित राशि (करोड़ रु. में)**

| मद/वर्ष | 2015–16 | 2016–17 | 2017–18 | 2018–19 | 2019–20 | कुल राशि (5 वर्ष में) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| मूल अनुदान | 1471.95 | 2038.17 | 2354.92 | 2724.22 | 3681.01 | 12270.27 |
| परफोरमेंस ग्रांट | – | 267.35 | 302.55 | 343.58 | 449.89 | 1363.37 |
| योग | 1471.95 | 2305.52 | 2657.47 | 3067.80 | 4130.90 | 13633.64 |

स्रोतः आपणी योजना आपणों विकास, ग्राम पंचायत विकास योजना निर्माण हेतु मार्गदर्शिका, ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग, राजस्थान

14वें वित्त आयोग के अंतर्गत राज्य के लिये प्रति वर्ष प्रस्तावित मूल अनुदान राशि एवं राज्य की कुल ग्राम पंचायतों की संख्या के आधार पर प्रत्येक ग्राम पंचायत हेतु औसत राशि का आंकलन किया जाये तो राज्य की हर एक ग्राम पंचायत हेतु 5 वर्ष की अवधि में पहले वर्ष (2015–16) करीब 14.88 लाख रु. की राशि का प्रावधान किया गया है जो बढ़ते–बढ़ते पांचवे वर्ष (2019–20) में लगभग 37.20 लाख रु. हो जाएगी। वर्षवार प्रति पंचायत औसत मूल अनुदान राशि का विवरण निम्न तालिका में दर्शाया गया है।

**14वें वित्त आयोग के अंतर्गत राज्य की प्रत्येक ग्राम पंचायत हेतु औसत मूल अनुदान राशि (लाख रु. में)**

| मद/वर्ष | 2015–16 | 2016–17 | 2017–18 | 2018–19 | 2019–20 | कुल राशि (5 वर्ष में) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| प्रति ग्राम पंचायत औसत मूल अनुदान | 14.88 | 20.60 | 23.80 | 27.53 | 37.20 | 124.02 |

स्रोतः आपणी योजना आपणों विकास, ग्राम पंचायत विकास योजना निर्माण हेतु मार्गदर्शिका, ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग, राजस्थान

**चौदहवें केन्द्रीय वित्त आयोग की राशि से करवाये जा सकने वाले कार्य :** 14वें वित्त आयोग के अंतर्गत प्राप्त राशि से पंचायतें निम्न कार्य करवा सकती हैं।

- भूमिगत जल स्रोतों से पेयजल आपूर्ति हेतु टंकियों में जल संग्रहण करने हेतु यदि आश्यकता प्रतीत होती है तो यंत्र/मोटर के संधारण की उचित व्यवस्था करना।
- सार्वजनिक स्थानों पर महिलाओं और पुरूषों के लिए पृथक–पृथक सार्वजनिक शौंचालयों/चल शौंचालयों की व्यवस्था सुनिश्चित करना।
- पंचायत क्षेत्र में ऐसे स्थल जहां गंदे पानी के एकत्रित होने की संभावना हो जिससे मच्छर पनपने अथवा बीमारी फैलने का अंदेशा हो उनका चिन्हीकरण कर उपचारात्मक उपाय करना।
- ग्रामीण क्षेत्रों में आयोजित किये जाने वाले हाट बाजार, मेला स्थल, सार्वजनिक प्रदर्शनी स्थल आदि के लिए चल शौंचालयों की व्यवस्था सुनिश्चित करना।
- ग्रामीण क्षेत्र में सीवरेज प्रबंधन संबंधी कार्य।
- ग्रामीण क्षेत्रों में सूखे शौंचालयों को फ्लश वाले शौंचालयों में बदलना और यदि कहीं आवश्यक हो तो, मैला ढ़ोने की प्रथा को समाप्त करने की उपयुक्त व्यवस्था करना।
- ग्रामीण क्षेत्रों में स्ट्रीट लाईट एवं प्रकाश की व्यवस्था करवाना।
- ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित राजकीय शिक्षण संस्थानों में बालक–बालिकाओं के लिए पृथक–पृथक शौंचालयों की व्यवस्था सुनिश्चित करना।
- बावड़ियों, टांको, कुओं, पनघट, हैंडपंप आदि जिनसे पेयजल आपूर्ति सुदृढ़ हो सके, का जीर्णोद्धार/निर्माण करवाना तथा खराब हैंड़पंपों का उचित संधारण कराना।
- पंचायत क्षेत्र में गंदे पानी के निकास हेतु नालियों का निर्माण।
- तरल एवं ठोस अपशिष्ठ के निपटान एवं निकास के लिए व्यवस्था करना।
- ग्रामीण क्षेत्रों में सामुदायिक संपत्तियों का रख–रखाव।
- पंचायत क्षेत्र में कुड़े–करकट के निपटान एवं सामान्य साफ–सफाई बनाये रखने हेतु उपयुक्त व्यवस्था करना।
- गांवों में पार्कों व मैदानों का रख–रखाव।
- ग्रामीण क्षेत्रो में सड़कों, फुटपाथों, कब्रिस्तान एवं श्मशानों का रख–रखाव।
- पेयजल आपूर्ति हेतु कुंओं एवं पानी की सार्वजनिक टंकियों का निर्माण करवाना।

**निष्पादन अनुदान (Performance Grant) हेतु दिशा निर्देशः**

निष्पादन अनुदान प्राप्त करने हेतु ग्राम पंचायतों को विगत दो वर्षों के लेखा परिक्षित वार्षिक लेखे प्रस्तुत करने होंगे। अंकेक्षित खाते प्रस्तुत किये जाने पर ग्राम पंचायत को निष्पादन अनुदान की 50 प्रतिशत राशि दिये जाने का प्रावधान है। निष्पादन अनुदान की शेष 50 प्रतिशत राशि पिछले वर्ष की तुलना में अपनी निजी आय में 10 प्रतिशत वृद्धि करने पर ग्राम पंचायत को दिये जाने का प्रावधान है।

**ग्राम पंचायतों को उपलब्ध राशि को विभिन्न कार्यों हेतु खर्च करने तरीका :**

हम देख सकते हैं कि राज्य एवं केन्द्रीय वित्त आयोगों द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को बड़ी राशि उपलब्ध करवायी जा रही है जिसका उपयोग दिशानिर्देशों के अनुसार पंचायतों को करने की पूरी छुट है। वर्ष 2016–17 में राज्य एवं केन्द्रीय वित्त आयोगों की सिफारिशों के अनुसार राज्य की प्रत्येक ग्राम पंचायत को औसतन लगभग 40 लाख रु. मिलने वाले हैं। ग्राम पंचायतें को उपलब्ध आय से विभिन्न कार्य करवाने के लिये ग्राम पंचायत विकास योजना तैयार करने का प्रावधान है जिसे राज्य में आपणी योजना आपणो विकास नाम दिया गया है। अतः ग्राम पंचायतें आपणी योजना आपणो विकास के दिशानिर्देशों के अनुसार अपनी वार्षिक योजना में उपरोक्त मदों के अनुसार कार्यों के प्रस्ताव शामिल कर प्राप्त आय को प्रस्तावित कार्यों हेतु उपयोग कर सकती हैं।

**केन्द्रीय स्तर पर आगामी साल (2017–18) से बजट में तीन बड़े बदलाव**

आगामी साल (2017–18) से बजट में मुख्य रुप से तीन महत्त्वपूर्ण बदलाव होने जा रहे हैं जिनमें (1.) बजट का आयोजना एवं गैर आयोजना में वर्गीकरण की समाप्ती (2.) रेल बजट का सामान्य बजट में विलय एवं (3.) बजट को फरवरी माह के अंतिम दिन के बजाय इससे पहले किसी अन्य दिनांक को पेश करना। इन तीनों बदलवों पर केन्द्रीय मंत्रीमंडल द्वारा अपनी मंजूरी दी गयी है, जिससे आने वाले केन्द्रीय बजट (2017–18) से इसकी प्रक्रिया, प्रस्तुती एवं स्वरुप बदल जायेगा।

गौरतलब है कि साल 1924 से रेल बजट सामान्य बजट से अलग पेश किया जा रहा है एवं 2017–18 से केन्द्रीय बजट में रेल बजट को शामिल किये जाने के कारण केन्द्रीय बजट का आकार काफी बढ़ जायेगा। इसके अलावा बजट को फरवरी माह के अंतिम दिन के बजाय इससे पहले किसी अन्य दिनांक को पेश किया जायेगा ताकि बजट को पास करवाने संबंधी कार्यों को 31 मार्च से पहले निपटाया जा सके। इसके अलावा वित्तीय साल 2017–18 से बजट के आयोजना एवं गैर आयोजना वर्गीकरण को भी समाप्त कर बजट को केवल राजस्व एवं पूंजीगत मदों के अनुसार ही पेश किया जायेगा। गौरतलब है कि गत वर्ष केन्द्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने अपने बजट भाषण में वित्तीय वर्ष (2017–18) से बजट के आयोजना, गैर आयोजना वर्गीकरण को समाप्त करने की घोषणा की थी। हालांकि अनुसूचित जाति उपयोजना एवं जनजाति उपयोजना के साथ उत्तर–पूर्वी राज्यों हेतु बजट का आवंटन जारी रखा जायेगा।

**राजस्थान में भी बजट का आयोजना एवं गैर आयोजना वर्गीकरण हो सकता है समाप्त**

राजस्थान सरकार के वित्त विभाग द्वारा आगामी बजट (2017–18) के संदर्भ में जारी किये गये परिपत्र के अनुसार वर्ष (2017–18) से बजट का आयोजना एवं गैर आयोजना वर्गीकरण समाप्त कर बजट केवल राजस्व एवं पूंजीगत मदों के अनुसार पेश किया जाना विचाराधीन है। अगर यह वर्गीकरण समाप्त होता है तो राज्य में दलितों एवं आदिवासियों हेतु संचालित उपयोजनाओं का आधार ही समाप्त हो जायेगा। चुंकि इन उपयोजनाओं का आधार आयोजना बजट है एवं सरकारों को अपने आयोजना बजट की राज्य में आदिवासी एवं दलित आबादी के अनुपात में इन उपयोजनाओं के तहत राशि आवंटित करना होता है। ऐसे में यदि बजट में आयोजना, गैर आयोजना वर्गीकरण ही समाप्त हो जायेगा तो उपयोजनाओं का भविष्य क्या होगा। क्योंकि राज्य सरकार उपयोजनाओं के अंतर्गत किये जाने बजट आवंटन को दर्शाने हेतु केन्द्र सरकार की तरह 21 एवं 21a स्टेटमेंट जारी नहीं करती है। ऐसे में बड़ी चिंता यह है कि राज्य में आगामी वर्ष से उपयोजनाओं के क्रियांवयन हेतु बजट आवंटन एवं खर्च कैसे एवं किस आधार पर किया जायेगा। इसके लिये राज्य सरकार को सभी मुख्य शीर्षों में दोनो उपयोजनाओं हेतु वास्तविक आवंटन एवं व्यय का स्टेटमेंट जारी करना चाहिये। अतः सरकार को कोई व्यवस्थित रणनीति बनाने के साथ इस मुद्दे पर स्थिति स्पष्ट करनी चाहिये।

सेवा में, बुक पोस्ट

श्रीमान/श्रीमती.....

.....

..... पिन कोड.....

संपादक – नेसार अहमद
संपादक मण्डल – महेन्द्र सिंह राव
– विवेक मिश्रा
– मौलीश्री धस्माना
सहयोग – अंकुश वर्मा
– भीमसिंह मीणा
सलाहकार – डॉ जिनी श्रीवास्तव

विभिन्न विभागों की बजट सम्बन्धी विस्तृत जानकारी एवं बजट समाचार के लिए आप हमसे निम्न पते पर सम्पर्क कर सकते हैं :-

बजट अध्ययन राजस्थान केन्द्र
पी–1, प्रथम तल, तिलक मार्ग, सी–स्कीम, जयपुर
फोन/फैक्स : (0141) 238 5254
E-mail : info@barcjaipur.org website : www.barcjaipur.org